राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

द्वारा

जिले में संचालित योजनायें

योजनाऐं

1. पालनहार योजना :–

बिना माता पिता के बच्चे जिनकी आयु 16 वर्ष से कम हो, के पालन–पोषण हेतु पालनहार परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से कम हो, को प्रत्येक बच्चे हेतु निम्न सहायता प्रदान की जाती है।

1. प्रारंभिक 5 वर्षो में 500/– रू. प्रतिमाह
2. विद्यालय में प्रवेश होने पर 675/– रू. प्रतिमाह
3. वस्त्र जूते–मोजे, स्वेटर आदि अन्य उपयोगी वस्तुओं के लिये प्रति बच्चा 2000/– रूपये वार्षिक

2. आस्था योजना :–

ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक सदस्य विकलांग है और उस परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं है को विशेष सहायता–नि:शक्त परिवारों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली बी.पी.एल. परिवार की निम्न समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जावेगी।

1. नि: शुल्क चिकित्सा सुविधायें
2. इन्दिरा आवास योजना में नि: शुल्क मकान
3. राशन सामग्री में रियायत
4. अन्य स्वीकृत विकास कार्यो में सुविधाएं

3. विश्वास योजना :–

नि: शक्त (विकलांग) व्यक्तियों के लिये जिनकी 40 प्रतिशत विकलांगता है, 18 वर्ष से अधिक आयु है तथा मासिक आय 1500/– रूपये से कम है को स्वरोजगार हेतु :–

1. 10,000 /– रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता
2. न्यूनतम ब्याज दर पर 40,000/– का ऋण

4. विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना :–

इस योजना में विधवा महिला जिसने पुर्नविवाह नहीं किया हो एवं जिसका कोई व्यस्क पुत्र कमाने वाला न हो तथा मासिक आय 1000/– से अधिक न हो तो (अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु) प्रति पुत्री के विवाह पर 10,000/– रूपये की अनुदान सहायता दी जाती है। (आवेदन पत्र विवाह से 1 माह पूर्व या एक माह बाद तक ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।) वर आयु 21 वर्ष एवं वधु आयु 18 वर्ष से कम न हो।

5. निः शक्त (विकलांग) युवक–युवतियों को विवाह हेतु अनुदान योजना– (सुखद जीवन योजना) :–

निः शक्त युवक अथवा युवती को विवाह हेतु 20,000/– रू. अनुदान सहायता दी जाती है, निः शक्त युवक की उम्र 21 वर्ष तथा निः शक्त युवती की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये तथा आवेदक की आय 1000/– रू. मासिक से अधिक न हो। (आवेदन पत्र विवाह से 1 माह पूर्व या एक माह बाद तक ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।) विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक होने पर ही लाभ देय है।

6. अनु. जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अत्याचार पीड़ित सहायता योजना :–

अनु. जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अत्याचार किये जाने पर पुलिस विभाग में दर्ज केस के आधार पर 22 तरह के अपराध/अत्याचार पर आर्थिक सहायता दी जाती है इस योजनान्तर्गत हत्या होने पर पोस्टमार्टम के तुरन्त बाद तथा बलात्कार होने पर मेडिकल जांच के उपरान्त तथा अन्य अत्याचारों में चालान पेश होने पर कुल सहायता राशि का 25 प्रतिशत भुगतान किया जाता है शेष राशि निचली अदालत में दोष सिद्ध होने पर दी जाती है। इसके अतिरिक्त अत्याचार से पीडित व्यक्ति को उस आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता, भरण–पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएँ भी नियमानुसार देय है।

7. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना :–

अनु. जाति/जनजाति के ऐसे छात्र जो राजकीय/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है उन्हें उत्तर मैट्रिक छात्रवृति प्रदान की जाती है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अध्यनरत को ही जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृति स्वीकृत कर संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से भुगतान की जाती है।

8. निःशक्त छात्रवृति योजना :–

निः शक्त छात्र/छात्रा जो राजकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत हैं को कक्षा 1 से 4 तक 40/– रू. प्रतिमाह, कक्षा 5 से 8 तक 50/– रू. प्रतिमाह 9 से 12 तक 85 रू. प्रतिमाह तथा प्रथम वर्ष से स्नातक तक 125 रू. प्रतिमाह व स्नाताकोत्तर तक 170 रू. प्रतिमाह शैक्षणिक सत्र हेतु छात्रवृति दी जाती है।
विकलांगता 40 प्रतिशत होने पर ही देय है।

9. निः शक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/उपकरण सहायता योजना :–

निः शक्त व्यक्तियों को विभाग द्वारा ट्राय साइकिल, वैशाखी व्हील चेयर श्रवण यंत्र उपलब्ध करवाये जाते है निः शक्त व्यक्ति की मासिक आय 750/– से 1500 तक हो तो सहायता की आधी राशि दी जाती है। विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक होने पर ही सहायता दी जाती है।

10. पोलियो करेक्शन योजना :–

निः शक्त जिनकी निः शक्तता पोलियो ऑपरेशन से ठीक हो सकती हो विभाग द्वारा राजकीय चिकित्सालयों द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क ऑपरेशन करवाया जाता है इस हेतु प्रति ऑपरेशन 3000/– रू. की सहायता राशि दी जाती है।

11. अनुप्रति योजना :–

(अ) संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अनु. जाति/जनजाति के अभ्यार्थियो जिसके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण व पाठ्य सामग्री हेतु सहायता राशि दी जाती है।

1– प्रा. परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 75000/– रूपये
(25,000/– अभ्यर्थी को एवं 50,000/– रूपये प्रशिक्षण संस्थान को)
2– मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 25000/–

(ब) राज. लोक सेवा आयोग की राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) में सम्मिलित अनु. जाति के अभ्यार्थी को जिसके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रू. से अधिक न हो को :–

1– प्रा. परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 15000/– रूपये अभ्यर्थी को एवं 15,000/– रूपये प्रशिक्षण संस्थान को
2– प्रधान (मुख्य परीक्षा) में उत्तीर्ण होने पर अभ्यार्थी को साक्षात्कार की तैयारी हेतु 15000/– रू.

12. भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम योजना :–

इन योजना के तहत असहाय, गरीब, वृद्ध जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक एवं महिला जिसकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भक्त श्रवणकुमार कल्याण सेवा आश्रम संचालित किये जाते है। सेवा आश्रम में वृद्धों को अल्पाहार, धार्मिक प्रवचन भ्रमण समाचार पत्र पढ़ने की सुविधा, टी.वी. देखने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

13. गाडिया लुहारों को मकान निर्माण हेतु सहायता अनुदान :–

गाडिया लुहार के ऐसे परिवार जिनके पास स्वयं का मकान नहीं है ऐसे परिवार को मकान निर्माण हेतु 17500/– रूपये की अनुदान सहायता राशि तीन किश्तों में दी जाती है। इस हेतु गाडिया लुहार परिवार के पास जाति प्रमाण–पत्र, राशनकार्ड एवं आवासीय भूमि का निःशुल्क पट्टा होना चाहिये।

14. गरीबी रेखा से नीचे चिन्हित परिवारों में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगारी सदस्य को वित्तिय सहायता योजना :–

ऐसे चयनित बी.पी.एल. परिवार जिनकी वार्षिक आय 12000/– से अधिक न हो बेरोजगार सदस्य का विगत तीन वर्ष से नियोजन कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार सदस्य को 2 वर्ष की अवधि अथवा बेरोजगार प्राप्त होने तक जो भी पहले हो के लिये 300/– प्रतिमाह वित्तीय सहायता उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर तहसीलदार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

15. छात्रावास योजना :–

राजसमन्द जिले में विभाग द्वारा अनु. जाति/जनजाति एवं स्वच्छकार जाति के 13 छात्रावास संचालित किये जा रहे है। इन छात्रावासों में निवासरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, जूते, मौजे, जर्सी, टॉवल, तेल साबुन, बाल कटिंग, बिस्तर धुलाई, समाचार पत्र, स्टेशनरी राशि उपलब्ध करवाई जाती है इस हेतु प्रति छात्र 725/– रू. प्रतिमाह साढ़े 9 माह तक स्वीकृत की जाती है।

(i) राशि का विभाजन इस प्रकार है :–

क्र. स.	मद	प्रतिमाह	प्रति सत्र ($9^{1/2}$)
1.	भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन ईंधन	535	5082.50
2.	स्कूल, यूनिफार्म मय सिलाई, जूते, मौजे, तोलिये एवं गर्म जर्सी आदि (वर्ष में एक बार एक मुश्त)	85	807.50
3.	सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटिंग आदि	26	247.00
4.	चद्दर, तकिया, खोली एवं खेस की धुलाई आदि	20	190.00
5.	बिलजी–पानी	53	503.50
6.	समाचार पत्र–पत्रिकाएं आदि	6	57.00
	योग	**725**	**6889.50**

(ii) छात्रावासों का विवरण निम्नानुसार है :–

अनुसूचित जाति छात्रावास			अनुसूचित जनजाति छात्रावास		
1.	भीम	25	1.	राजसमन्द	35
2.	आमेट	60	2.	खमनोर	35
3.	गिलूण्ड	35	3.	नाथद्वारा	35
4.	कुरज	25	4.	कुंभलगढ़	35
5.	रेलमगरा	85			
6.	पीपली आचार्यान	25			
7.	कन्या कांकरोली	35			

अनुसूचित जाति (स्वच्छकार) छात्रावास

1. देवगढ़ बालक35
2. देवगढ़ कन्या 35

16. अनु. जाति के बी.पी.एल. चयनित परिवारों की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान योजना – (सहयोग) :–

अनु. जाति के बी.पी.एल. परिवारों को उनकी अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु 5000/– प्रति पुत्री अनुदान सहायता दी जाती है। विवाह के समय विवाह योग्य वर–वधु बालिग होने चाहिए। आवेदन शादी के 1 माह पूर्व या 1 माह पश्चात प्रेषित करना आवश्यक है।

17. विशेष छात्रवृति :–

कोढ़ पीड़ित माता–पिता के बच्चों की शैक्षणिक सहायता हेतु विशेष छात्रवृति विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। विशेष छात्रवृति कक्षा 1 से 5 तक 40 रूपये, 6 से 8 तक 50 रू., 9 से 12 तक 85 रू., स्नातक 125 रू. एवं स्नातकोत्तर व तकनीकी शिक्षा हेतु 170 रू. प्रतिमाह की दर से 10 माह तक दी जाती है।

18. गाडिया लोहारों को कच्चा माल देने की योजना :–

विभाग द्वारा गाडिया लोहारों के आर्थिक विकास हेतु उनके व्यवसाय में सहायता प्रदान करने के लिए कच्चा माल, क्रय करने हेतु प्रति व्यक्ति 500 रूपये का अनुदान दिया जाता है।

19. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना :—

उक्त योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 30 हजार रू. की सहायता व दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75 हजार रूपये की सहायता, स्थाई पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर 75 हजार रूपये व स्थाई आंशिक अपंगता की स्थिति में 30 हजार रूपये की सहायता तथा बीमित सदस्य के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्र को 100 रू., प्रतिमाह छात्रवृति देय है। अधिकतम 2 बच्चों को देय है। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत विभाग व शहरी क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा किया जायेगा।

नोट :— विभागीय योजनाओं के आवेदन पत्र प्राप्ति एवं अधिक जानकारी हेतु विभागीय छात्रावासों एवं जिला कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें :—

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी

राजसमन्द

फोन : 02952—221169